। **अन्य**।। 9411540861।। MAMTESHPRAVI@GMAIL.COM । 05-06-2023 11:09:सुबह 06 बजे

LZ + 1iXo =

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में 2013 का

सीआरजेए नं. 41

जिलाःनैनीताल

1-नरेंद्र आर्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

..... प्रतिवादी ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताः अरुण प्रताप शाह **उत्तरदाता अधिवक्ताः**

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

उत्तराखंड उच्च न्यायालय , नैनीताल

आपराधिक जेल अपील संख्या . 41 का 2013

नरेंद्र आर्य ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... उत्तरदाता

उपस्थित :-

श्री अरुण प्रताप सिंह , अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री जे एस विर्क , विद्वान डेप्यूटी ऐड्वकेट जनरल के साथ विद्वान ब्रीफ़ होल्डर श्री राकेश कुमार जोशी ।

फैसला सुरक्षितः 19.07.2022

निर्णय दिया गयाः 11.10.2022

कोरम श्री संजय कुमार मिश्रा , न्यायाधीश

श्री आलोक कुमार आर वर्मा , न्यायाधीश .

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

(प्रतिःश्री एस के मिश्रा जे .)

इस अपील को प्राथमिकता देकर , अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए दंड संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , हल्द्वानी , जिला नैनीताल द्वारा सत्र 2012 का विचारण सं 56, दिनांक 31. 10. 2013 के निर्णय के अनुसार , उसे आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, व्यतिक्रम रूप से, छह महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला , संक्षेप में, यह है कि अपीलकर्ता श्रीमती दीपा देवी सूचना देने वाली पीडब्लू 1 का दामाद है। दीपा देवी ने अपनी बेटी पूनम के साथ

अपीलकर्ता का विवाह कराया, जो घटना से लगभग आठ महीने पहले 19 वर्ष की थी। अपीलकर्ता कोई काम नहीं कर रहा था और कुछ भी कमा नहीं रहा था। वह शराब, चरस आदि मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त था और अपीलकर्ता के ऐसे व्यवहार के कारण मृतक (पूनम) और अपीलकर्ता के बीच हमेशा झगड़ा होता था। 1. 02. 2012 को , लगभग 7:00 बजे , अपीलकर्ता छह दिन बाहर रहने के पश्चात अपने घर वापस आ गया। मृतक ने उससे पूछा कि वह कोई काम नहीं कर रहा है और इधर-उधर क्यों घूम रहा है।अपीलकर्ता और उसकी पत्नी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने उन्हें शांत किया। रात के करीब 9 बजे, उन सभी ने खाना खाया और अपीलकर्ता और उनकी पत्नी रात को आराम करने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए । शिकायतकर्ता बाहरी कमरे में सोने चली गई। अगले दिन, लगभग सुबह 6 बजे दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर उसने दरवाजे पर धक्का दिया।उसने पाया कि उसकी बेटी बिस्तर पर मृत पड़ी है और उसके गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है, इसलिए, उसने मान लिया कि नरेंद्र आर्य-अपीलकर्ता ने उसकी बेटी की हत्या की है और खिड़की द्वारा भाग गया । उसने दूसरों को सूचित किया और 02. 02. 2012 को सुबह 7:30 बजे लालकुआं पुलिस स्टेशन गई। उसने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तरह की जानकारी पर प्राथमिकी नं.14/2012 लालकुआं पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और जाँच अधिकारी ने मामले की जाँच शुरू की थी। जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने मृतक के शव की जाँच की, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से जाँच पड़ताल की, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, पोस्टमॉर्टम जांच के पश्चात डॉक्टर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की

और उसके पश्चात जाँच के पूरा होने पर जाँच अधिकारी ने दंड संहिता की खंड 302 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपने मामलेले को साबित आदेश के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की, पीडब्लू1 श्रीमती दीपा देवी शिकायतकर्ता हैं, पीडब्लू 2 जीवन लाल, पीडब्लू 3 प्रमोद कुमार, पीडब्लू 4 हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, पीडब्लू 5 रजा अब्बास, तहसीलदार, पीडब्लू 6 डॉ. संजीव प्रकाश और पीडब्लू 7 विपिन चंद्र पंत, जांच अधिकारी और 12 प्रदर्शनों के साक्ष्य का नेतृत्व किया।

4. आरोपी ने दलील दी की उसे इस मामले मे झूठा फँसाया गया है और वह उस समय घर मे मौजूद नहीं था बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया।

5. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता और मृतक को शिकायतकर्ता द्वारा आखिरी बार 01.02.2012 को रात मे देखा था। और अगले दिन मृतक का शव कमरे के अंदर पाया गया और अपीलकर्ता अनुपस्थिति था। विद्वान न्यायाधीश ने अग्रेतर कहा कि बचाव पक्ष मृतक की मृत्यु की व्याख्या नहीं कर सका है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कमरे के अंदर अपीलकर्ता और उसकी पत्नी की उपस्थिति और रात में दम घुटने के कारण मृतक की मृत्यु, अगली सुबह उस कमरे में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में मृतक की मृत्यु का कारण न स्पष्ट करना अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

होगा। इसलिए, परिधीय स्थिर साक्ष्य के आधार पर, उन्होंने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जैसा कि ऊपर कहा गया है।

6. अपीलकर्ता का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेगा कि इस मामले में परिवेदक रुख पूर्ण नहीं हैं। परिस्थितियाँ घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला नहीं बना रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त की बेगुनाही का अभियोजन पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है, इसलिए अपील की अनुमति दे दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह के बाद साबित कर दिया है।

7. इस मामले में डॉक्टर डॉ. संजीव प्रकाश हैं। उन्होंने 02.02.2012 को यह कहा कि उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया और पाया कि मृतक की उम्र 19 वर्ष थी। उसके शरीर पर कठोर चोट के निशान था। बाहरी जाँच में, उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं -

(1) गर्दन के सामने बाईं ओर घर्षण। खरोंच के चारों ओर नीले रंग की सूजन थी।

(2) उन्होंने पोस्टमॉर्टम जांच के पश्चात यह भी पाया कि आंतरिक अंग सूज गए थे और हृदय रक्त से भरा हुआ था। पेट में आधा पचा भोजन था। पेट गैस व पचे हुए अवशेषों से भरा हुआ था।वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृतक की मौत गला घोंटने के कारण हुई थी जिसके परिणामस्वरूप गर्दन पर पूर्व-शव परीक्षण चोटों के कारण दम घुटना हो जाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु मानव हत्या और गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी।

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

8. अभिलेख पर उपलब्ध एकमात्र अन्य साक्ष्य यह कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच बहस हुई थी और वे रात के खाने के पश्चात घर के कमरे के अंदर सोने गए थे। अगली सुबह वह अनुपस्थि त पाया गया और मृतका मृतपाई गई । पीडब्लू 1 के बयान की जांच से पता चलता है कि मृतक और अपीलकर्ता भोजन के पश्चात सोने के लिए अपने कमरे के अंदर गए थे। यद्यपि अगली सुबह उसके द्वारा जबरदस्ती दरवाजा खोला गया और मृतका मृत पड़ी थी । अपीलकर्ता अनुपस्थि त था। इस प्रकार , यह अभियोजन पक्ष के विरुद्ध साबित एक स्थिति है और इस गवाह के साक्ष्य की जांच से पता चलता है कि उसके साक्ष्य में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है। यद्यपि इस मामले में मात्र एक गवाह द्वारा अंतिम देखे गए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।

9. वेदिवेलु थेवर बनाम के *मामले में, मद्रास राज्य, 1957 ए. आई. आर. 614, माननीय* सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए एकल गवाह के साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर कहा कि आम तौर पर गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है (1) पूरी तरह से विश्वसनीय (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

10. जहाँ तक पहली दो श्रेणियों के गवाहों का संबंध है, इस न्यायालय को अपने निर्णय पर आने में कोई समस्या नहीं है।यदि गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय है तो उसके साक्ष्य को ध्यान में रखा जा सकता है और किसी अन्य पुष्टि करने वाले परिस्थिति की अनुपस्थिति में भी अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने वाला कहा जा सकता है। इसी तरह की स्थिति पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह के संबंध में है। उस मामले में, न्यायालय केवल उसी के अनुसार अपना निष्कर्ष देते हुए उसके साक्ष्य को खारिज कर देता है।जब गवाह न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। अधिकांश गवाह तीसरी श्रेणी में आते हैं।जब गवाह का साक्ष्य इस तरह की उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है तो न्यायालय को उसके साक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय मानना पड़ता है। जिन मामलों में न्यायालय गवाह को न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय मानता है, वहां उसे कुछ स्वतंत्र पुष्टि की मांग करनी चाहिए, न कि आवश्यक रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा जाँच एजेंसी द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किए गए परिक्षेत्र के रुख में उपस्थित होने को भी एक गवाह के साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में निष्कर्ष पर आने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

11. जाँच अधिकारी द्वारा तैयार स्थल योजना से पता चलता है कि पीडब्लू 2 जीवन लाल का दो कमरों मे कब्जा था और दो कमरे अपीलकर्ता के कब्जे में थे। चारों कमरे एक ही बिल्डिंग में थे। पीडब्लू 2 के बयान से पता चलता है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच कलह थी। 01.02.2012 की शाम को, अपीलकर्ता एक हफ्ते बाहर रहने के पश्चात आया था। उस समय उनकी सास भी घर पर मौजूद थीं।गवाह ने अग्रेतर

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

कहा कि उस शाम अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था।भोजन लेने के पश्चात अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (मृतक) अपने कमरे में गए, पीडब्लू 1 अपने कमरे में गया और पीडब्लू 2 अपनी पत्नी के साथ रात में आराम करने के लिए अपने कमरे में गया। उन्होंने अग्रेतर कहा कि उन्होंने उस रात मृतक और अपीलकर्ता के बीच कोई बहस नहीं सुनी। पीडब्लू 2 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि वह अपीलकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। पति और पत्नी के बीच किसी भी विवाद की अनुपस्थिति के बारे में उसे नहीं पता था जबकि PW1 का प्रमाण है कि अपीलकर्ता मृतक के विपरीत चलता था।

हालांकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की खंड 134 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए साक्ष्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) में यह प्रावधान है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय कका मत है कि पीडब्लू 1 का अपीलकर्ता को फंसाने का एक उद्देश्य है, क्योंकि उसके बयान से यह स्पष्ट है कि वह अपीलकर्ता से खुश नहीं थी और यह घटना एक ऐसे घर के अंदर हुई जहाँ अपीलकर्ता अपनी पत्नी, पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 और उसके परिवार के साथ रह रहा था, इसलिए उस स्थिति में, अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुमान लगाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्ता के साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

12. यह कानून का सिद्धान्त है कि अभियुक्त को चुप रहने का अधिकार है। किसी मामले में अभियुक्त के रूप में आरोपित व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह के बाद साबित

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MANTESH

करें।आरोप कभी भी बचाव पक्ष पर नहीं जाता है।यद्यपि ऐसे मामलों में जहां अपीलकर्ता एक विशिष्ट बचाव याचिका लेता है जैसे कि बहाना या निजी बचाव का अधिकार आदि, बचाव पक्ष के लिए समान बदलाव साबित करने की जिम्मेदारी है।अभियोजन पक्ष पर हमेशा अपने मामले को उचित संदेह के बाद साबित करने का बोझ होता है। मामले में, पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष को सभी परिवेशक रुख को निर्णायक रूप से स्थापित करना होता है और परिवेदक रुख में से कोई भी अभियुक्त की निर्दोषता की परिकल्पना के अनुरूप नहीं होना चाहिए। हम शरद बर्धी चंद *सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 ए. आई. आर. 1622 के* उद्धृत निर्णय पर ध्यान देते हैं, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पाँच सुनहरे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैः-

(1) वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकलता है उसे तोड़ मोड़ के पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप और दिखाएँ कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

13. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के लिए प्रत्येक और प्रत्येक परिक्षेत्र के रुख के निर्णायक प्रमाण की आवश्यकता होती है और सभी परिस्थितियां घटनाओं की श्रृंखला को इतना पूर्ण बनाती हैं कि

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAHTESH

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई अन्य पलायन नहीं है कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध का दोषी है।इस मामले में, दो कारण जो साबित हुए हैं, वे यह हैं कि अपीलकर्ता और मृतक उस कमरे के अंदर थे जहाँ अगले दिन मृतक का शव मिला था और मृतक की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की खंड 106 के प्रावधान पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता द्वारा किसी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

14. हमारी सुविचारित मत मे ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है। इस मामले में मात्र दो परिच्छेद रुख साबित हुए हैं और पीडब्लू1 द्वारा प्रस्तावित अंतिम सिद्धांत इस अर्थ में थोड़ा अस्थिर प्रतीत होता है कि उसने अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़े के बारे में कहा है, जबकि पीडब्लू 2 ने ऐसे किसी भी झगड़े के बारे में नहीं कहा है।पीडब्लू 1 के पास अपीलकर्ता से नाखुश होने के सभी कारण हैं, और इसलिए , उसकी ओर से अपीलकर्ता को अपराध करने में फंसाने का उद्देश्य हो सकता है। इसलिए , अंतिम देखे गए सिद्धांत के बारे में पीडब्लू 1 के एकल कथन पर भरोसा करना बहुत सुरक्षित नहीं होगा।पीडब्लू 2 ने अपीलकर्ता और मृतक के कमरे में जाने और रात के लिए आराम करने के लिए दरवाजा बंद करने के बारे में भी विशेष रूप से नहीं कहा है।

15. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल और अन्य, (2008) *16 एस. सी. सी. 73 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य* साक्ष्य के उद्देश्य के महत्व की जांच की

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

परिस्थितिजन्य साक्ष्य। पैराग्राफ 38 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उद्देश्य एक ऐसी चीज है जो मुख्य रूप से अभियुक्त को स्वयं ज्ञात है और अभियोजन पक्ष के लिए यह स्पष्ट करना संभव नहीं है कि वास्तव में उन्हें विशेष अपराध करने के लिए क्या प्रेरित या प्रोत्साहित किया।

पैरा 39 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर अभिनिर्धारित किया है कि अभिप्रेरण को एक चौकस रुख के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं, तो यह कमजोर नहीं होता है, भले ही उद्देश्य बहुत मजबूत न हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां प्रत्यक्षदर्शियों का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, उद्देश्य अपना सारा महत्व खो देता है।

16. इसके अतिरिक्त , पन्नयार बनाम *तमिलनाडु राज्य, (2009) 9 एस. सी. सी. 153 के मामले में,* माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करने वाले मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पक्ष में है।

17. शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम के *मामले में महाराष्ट्र राज्य, (2021) 5 एस. सी. सी. 626, माननीय उच्चतम न्यायालय* द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभिप्रेरणा के मामले में प्रासंगिक नहीं होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभिप्रेरणा परिक्षेत्र स्थिति की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाती है।

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

18. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपराध के पीछे के मकसद को स्थापित नहीं किया है।जैसा कि पहले चर्चा की गई है, पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के साक्ष्य विशेष रूप से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं और इन्हें पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाला कोई अन्य कारण उपस्थित नहीं है। उद्देश्य की अनुपस्थिति में निश्चित रूप से ये मामला अपीलकर्ता के पक्ष में होगा। दो गवाह, जो घर के निवासी थे, घटना की रात में अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़े के बारे में परस्पर विरोध कर रहे थे। इसके अलावा, पति और पत्नी के बीच छोटे विवाद को एक मजबूत उद्देश्य नहीं माना जा सकता है। पीडब्लू 2, घर का निवासी होने के नाते यह कहने में असमर्थ है कि उनके बीच कोई विवाद था और हालांकि कुछ कलह थी ।इस तरह का वैवाहिक कलह एक सामान्य घटना है और इसे हत्या जैसे अपराध को करने का उद्देश्य नहीं माना जा सकता है।

19. अतः, इस न्यायालय की मत है कि अपराध करने में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में उचित संदेह है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता पर दोष मढ़ना इस मामले के तथ्यों में उचित नहीं थे।

20. परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जाती है। दंड संहिता की धारा 302 से दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को इसके द्वारा अपास्त दिया जाता है। अपीलकर्ता को दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी नहीं पाया जाता है, और इसलिए, उसे बरी कर दिया जाता है। विद्वान अतिरिक्तसत्र

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की खंड 437-ए की अवधियों में बंधपत्र निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए अपीलकर्ता को विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश हल्द्वानी , डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

11. विचारण के अभिलेखों को तुरंत वापस भेजा जाए।

(संजय कुमार मिश्रा , जे।)

(आलोक कुमार वर्मा , जे।)

पी. वी

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO MAMTESH